Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **आई.पी.एस. मनीष अग्रवाल रिश्वत प्रकरण : एक दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को किया गिरफ्तार**

जयपुर, *15 फरवरी।* ए.सी.बी. द्वारा गत 2 फरवरी को दौसा में हाईवे निर्माण कम्पनी से दलाल नीरज मीणा के माध्यम से रिश्वत लेने के मामले में आई.पी.एस. मनीष अग्रवाल तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दौसा को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में ए.सी.बी. द्वारा अभियोग सं0 16/2021 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। आज ए.सी.बी. द्वारा उक्त प्रकरण के अनुसंधान में कार्यवाही करते हुए **एक दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) गोपाल सिंह** को गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि गत दिनों दौसा में निर्माणाधीन हाईवे कम्पनी के मालिक से निर्माण कार्यों में बाधा नहीं डालने की एवज में लाखों रुपये रिश्वत के रूप में वसूलने के आरोप में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दौसा आई.पी.एस. मनीष अग्रवाल एवं उनके दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण का अनुसंधान में आज मनीष अग्रवाल के लिये दलाली करने वाले एक व्यक्ति गोपाल सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह राजपूत निवासी ग्राम गुडकी, थाना कोलवा, जिला दौसा को भी प्रकरण में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारियों की टीम द्वारा आरोपी गोपाल सिंह से गहन पूछताछ की जा रही है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***'िंजेंचच हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24ग7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।